न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—307/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/307)

1. प्रहलाद पुत्र लादू, जाति लोधा, निवासी राजपुरा, तहसील सावर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. भोजराज सिंधी पुत्र टोपनदास सिंधी, जाति सिंधी, निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. गलकू पत्नि लादू
3. भागचंद पुत्र लादू
4. किशनलाल पुत्र भूरा
   समस्त जाति लोधा, निवासी राजपुरा, तहसील सावर, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी।
6. दिनेश कारिहा पुत्र पूनणमल, जाति सिंधी, निवासी लाभचंद मार्केट, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 1874/2017 (2017/01474)

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री दीनदयाल स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4.
3. श्री आर.पी.शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 6.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05.

निर्णय

दिनांकः—06.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1874/2017 (2017/01474) में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5/प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 88 बाबत विभाजन एवं खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात गत 990 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम भाण्डावास तहसील सावर जिला अजमेर स्थित है उपरोक्त आराजीयात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 तथा रेस्पोडेंट संख्या 6 ने 1/4 हिस्सा छीतर पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

भूरा से खरीद किया व 1/4 हिस्सा जगन्नाथ से क्रय किया इस प्रकार 1/2 हिस्से में वादी का 2/3 व 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 6 का था, जिसमें वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने 1/3 हिस्सा भी रेस्पोडेंट संख्या 6 से जरिए विक्रय पत्र खरीद कर लिया है इस प्रकार उक्त आराजीयात में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है। भूरा के देहांत क बाद उसके वारिसान जगन्नाथ, छीतर, लादू व किशनलाल के नाम दर्ज चली आ रही है जोकि 1/4-1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज रहे है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती व सहवन से किशनलाल के स्थान पर किशना व लाला अंकन कर दिया जबकि किशनलाल एक ही व्यक्ति है। उक्त गलत अंकन से जमाबंदी में 1/5-1/5 हिस्सा दर्शाया गया है जो कि गलत है व दुरूस्त किए जाने योग्य है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/2 हस्से का खातेदार घोषित किया जावे रेस्पोडेंट संख्या 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से दुरूस्त किया जाकर किशना व लाला का नाम विलोपित कर किशनलाल दर्ज किया जावें। उक्त अनुसार वाद डिक्री कर विभाजन की आज्ञप्ति प्रदान की जावे। उक्त प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु वाद को डिक्री कर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा व अपीलांट का 1/4 हिस्सा विभाजन किए जाने बाबत प्राथमिक डिक्री दिनांक 5.2.2021 को पारित की गई एवं इसके पश्चात तहसीलदार को नक्शे कुरेजात मंगाए जाने के आदेश पारित किए गए। जिस पर तहसीलदार सावर द्वारा प्रेषित नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 15.11.2021 में अवैधानिक रूप से अपीलांट का नाम हटाया जाकर एकमात्र वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 3 को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार अंकन किए जाने में त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1874/2017 (2017/01474) में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 5.2.2021 पारित किए जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया पत्रावली में प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण को बिना नोटिस जारी किए, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय आदेश तहसीलदार की सहमति होना वर्णित करते हुए पारित किए गए है। जिसकी किसी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी अपीलांट को निर्णय से पूर्व नहीं दी गई। जिसके बाबत प्रार्थी को जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात जो कि रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 3 के हिस्से की आराजीयात में शामलात रही है पर जबरन दखलंदाजी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किए जाने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री क बाबत अवगत कराया गया, तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने पर उक्त इंद्राजात के बाबत जानकारी हुई तत्पश्चात अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण में जानकारी चाही गई। जिस पर अधिवक्ता द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई एवं न्यायालय से प्रकरण की जानकारी कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया व उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही किए जाने हेतु विधिक जानकारी दी गई। आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 22.9.2022 को उपलब्ध होने पर दिनांक से अंदर मियाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से पूर्व वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की सहखातेदारी में तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 के 1/4 हिस्से व रेस्पोडेंट संख्या 1 के 1/2 हिस्से में दर्ज रही हैं। अवैधानिक रूप से वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट का नाम प्राथमिक डिक्री में अंकन होने के उपरांत भी अंतिम डिक्री से हटाया जाकर रेस्पोडेट संख्या 2 व 3 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 4 के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन कराए जाने के आदेश दिए गए है जबकि वादग्रस्त आराजीयात में लादू की सम्पत्ति में बहिस्सा बराबर अंकन किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अंकन किए बिना तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में जहां रेस्पोडेंट संख्या 1 व 6 के हस्ताक्षर हैं को सहमति होना अंकन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर साधारण नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए गए है जिनकी तामिली रिपोर्ट हेतु पत्रावली तक जेरकार रही है उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 5 तहसीलदार द्वारा सहमति दी जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित बताया है अंकन करते हुए तनकीयात निर्मित किए बगैर बिना साक्ष्यों को प्रदर्श मार्क किए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव में प्राथमिक डिक्री दिनांक 5.2.2021 को पारित की गई है। जबकि वादी अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वाद निस्तारण हेतु प्रदर्शित नहीं कराई गई व ना ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुआ है। एकमात्र प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वाद–पत्र को डिक्री किए जाने में त्रुटि कारित की गई है। राजस्व अभिलेख नकल वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में पक्षकार के दर्ज हिस्से को 1/5 के स्थान पर 1/4 किए जाने हेतु अनुतोष वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा चाहा गया है जिसमें विधिवत रूप से अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट की तामिली कराई जाकर तनकीयात निर्मित की जाकर साक्ष्य ली जाकर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत वाद पत्र में बिना खातेदारान को नोटिस जारी किए बिना विधिवत रूप से तलबी कराए जहां पत्रावली वास्ते तामिली हेतु जेरकार रही हैं दिनांक 5.2.2021 को जवाब सरकार पेश हुआ। उक्तानुसार बिना तनकियात निर्मित किए बिना खातेदारान की तामिल कराए खातेदारान के दर्ज किस्से को 1/5 हिस्से के स्थान पर 1/4 अंकन किए जाने के आदेश दिए गए है। विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को एकपक्षीय रूप से डिक्री किया जाकर इन्हीं सहखातेदारान के नाम रहे राजस्व अभिलेख में रहे अंकन को निरस्त कर वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने का आदेश दिए गए है एवं इसके पश्चात एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 6 प्रर्फोमा प्रतिवादी की उपस्थिति में अंतिम डिक्री पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित एकपक्षीय नक्शे कुरेजात के आधार पर प्रस्तुत वाद को आक्षेपित निर्णय से अंतिम डिक्री किए जाने में त्रुटि की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तनकियात कायम किए बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली में प्राथमिक डिक्री पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना साक्ष्य लिए रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है जिसकी अनुपालना में एकपक्षीय रूप से नक्शे कुरेजात जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत प्रेषित की है, पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी का हिस्सा पृथक रूप से दर्शाया विशिष्ठ भू भाग की आराजीयात को उसके नाम अंकन कर शेष रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपीलांट का हिस्सा शामलाती रूप से जमाबंदी में अंकन किए जाने बाबत अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा आक्षेपित निर्णय से संलग्न आदेशिका अनुसार प्राथमिक डिक्री दिनांक 5.2.2021 को जारी कर पत्रावली को फैसल शुमार किए जाने के आदेश किए गए है एवं निर्णय दिनांक 15.11.2021 में प्रेषित नक्शे कुरेजात जो कि मौके पर गए बिना आपसी मिलीभगत कर निर्मित किए गए है, एवं रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी को विशिष्ठ भूभाग जो कि उसके द्वारा राजस्व वाद में चाहा गया है बाबत अंकन किया जाकर अंतिम डिक्री दिनांक 15.11.2021 को पारित किए जाने में त्रुटि की गई है जो कि निरस्तनीय है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1874/2017 (2017/01474) में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 06 ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 06 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी ने 1/4 हिस्सा छीतर पुत्र भूरा से खरीद किया था, तथा 1/4 हिस्सा जगन्नाथ के वारिस से खरीद किया था। इस प्रकार उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा प्रफोर्मा प्रतिवादी का था। जिसमें से प्रतिवादी ने उक्त 1/3 हिस्सा को भी प्रफोर्मा प्रतिवादी से जरिए विक्रय पत्र खरीद कर लिया था इस प्रकार उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा निहित है उक्त आराजी पर प्रतिवादी खातेदार व काश्तकार चला आ रहा है उक्त वर्णित आराजीयात वादी की पुश्तैनी आराजीयात है। जो स्व0 भूरा पुत्र गोपाल की आराजीयात है जो राजस्व रेकार्ड संवत 2022–2025 में भूरा के नाम दर्ज होती चली आ रही थी, तथा भूरा के देहांत के बात उक्त वर्णित आराजी में भूरा के चार वारिसान जगन्नाथ, छीतर, लादू व किशनलाल के नाम दर्ज होती चली आ रही है। इस प्रकार वाद वर्णित आराजीयात में 1/4–1/4 हिस्से पर खातेदार काश्तकार दर्ज होते चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजीयात में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती व सहवन से किशनलाल के स्थान पर किशना व लाला अंकन दर्ज कर दिया गया जो गलत है जबकि किशनलाल एक ही व्यक्ति है नामांतरकरण संख्या 603, 604 में छीतर व जगन्नाथ का 1/4–1/4 हिस्सा ही दर्शाया गया है जो सही है। वादवर्णित आराजीयात में किशनलाल के गलत अंकन दर्ज होने से जमाबदी में खातेदार का 1/5,1/5 हिस्सा दर्शाया गया है जो गलत है जबकि उक्त वर्णित आराजीयात में 1/4–1/4 हिस्सा होना चाहिए जो दुरूस्त किया जाने योग्य है। प्रतिवादी ने भी उक्त वादवर्णित आराजीयात में 1/4,1/4 हिस्सा ही खरीद किया था इसके बाद प्रतिवादी के नाम नामांतरकरण संख्या 603, 604 में 1/4 हिस्से में से 2/3 प्रतिवादी व 1/3 प्रफोर्मा प्रतिवादी क नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दर्ज किया गया लेकिन वर्तमान में प्रतिवादी का सम्पूर्ण आराजीयात में 2/5 हिस्सा दर्शाया गया है जो गलत होने से दुरूस्त किया जाकर 1/2 हिस्सा अंकन किया जाना न्यायहित में होगा। प्रतिवादी का उपरोक्त वादवर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादी का किसी प्रकार का वादग्रस्त आराजीयात में कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रतिवादी ने अपनी पुश्तैनी वादवर्णित आराजी को अपने हिस्से को एवं किशनलाल का नाम दुरूस्त कराने हेतु वादी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परंतु वादी ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे यह प्रकरण प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। अतः प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा किशना व लाला का नाम विलोपित किया जावे व किशनलाल दर्ज किया जावे व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 04 को नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बावजूद सूचना के भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा सरकार पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया तथा तत्पश्चात दिनांक 05.2.2021 को प्राथमिक डिक्री स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सावर से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये, जो विधि सम्मत है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी खातेदार का हिस्सा प्राथमिक डिक्री में कम नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर.आर.डी, 2000 पेज 557, आर.बी.जे (17) 2010, आर.बी.जे (14) 2007.

8. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 04 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट व हमारे हक अधिकार एक जैसे होने से अपीलांट द्वारा की गई बहस को ही हमारी बहस माना जावे। समर्थन किया।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी द्वारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत इद्रांज दुरूस्ती एंव बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.2.2021 द्वारा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील हाजा न्यायालय में प्रस्तुत की है पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 06 ने 1/4 हिस्सा छीतर पुत्र भूरा से खरीद लिया था व 1/4 जगन्नाथ के वारिस से खरीद किया था इस प्रकार उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्सा में 2/3 वादी का एवं 1/3 हिस्सा प्रफोमा प्रतिवादी का था जिसमे से वादी ने 1/3 हिस्से को भी प्रफोमा प्रतिवादी से जरिए विक्रय पत्र खरीद लिया था इस प्रकरा से उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार से वादग्रस्त आरजीयात बाबत खसरा नम्बर 950 रकबा 0.79 है0 के पुराने खसरा नम्बर 4–17–10 के चौसाला जमाबंदी जो ग्राम भांण्डावास की चौसाला जमाबंदी सम्वत 2022–2025 की खाता सख्या 47 में भूरा वल्द गोपाल कोम लोधा साकिन के नाम दर्ज है भूरा वल्द गोपाल की मृत्यु के उपरांत नामांतरकरण सख्या निर्णय 28.5.1970 से गौपाल वल्द भूरा के स्थान पर उसके वरिसान जगन्नाथ छीतर लादू किशनलाल के नाम नामांतरकरण स्वीकृत हुआ तथा दौराने बंदोबस्त चौसाला जमबांदी से दौरान बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से खाता संख्या 47 के खसरा नम्बर 502 रकबा 4–17–10 बाबत जगन्नाथ छीतर लादू व किशना व लाला पिता भूरा दर्ज हो गया जिसे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब सरकार प्राप्त करने के उपरांत उक्त त्रुटि पाई जाने के उपरांत वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को विधिवत रूप से स्वीकार कर उक्त लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त की जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया है प्रतिवादी सख्या 1 से 4 बावजूद नोटिस तामिली के प्रस्तुत नही हुए। अतः उनके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा उन्होने उक्त वाद को मौखिक रूप से स्वीकार किया तथा उक्त राजस्व वाद बाबत जवाब सरकार में भी उक्त जमाबंदी में हुई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित बताया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों की रचना हेतु कोई आवश्यकता नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद बाबत अंतिम रूप से बहस सुनी जाकर विधिवत रूप से आदेश पारित किया जिसमें किसी भी प्रकार से विधिक त्रुटि नहीं होने से व किसी भी खातेदार का प्राथमिक डिक्री में हिस्सा कम नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.2.2021 विधि सम्मत प्रतीत होता तथा उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 1874/2017 (2017/01474) में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर